न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्य- प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक -------/2017 निगरानी

II/निगरानी/दतिया/भू-रा/2017/2610

श्री आनन्द कुमार दुबे अभि० द्वारा आज 11-8-17 को प्रस्तुत

11-8-17

1. संजय पुत्र ओमप्रकाश श्रीवास्तव आयु 36वर्ष
2. मनीष पुत्र ओमप्रकाश श्रीवास्तव आयु 30वर्ष
3. अजय पुत्र ओमप्रकाश श्रीवास्तव आयु 28 वर्ष

निवासीगण ग्राम देभई तह. सेंवढा जिला दतिया ------ निगरानीकर्तागण

बनाम

राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री अनुधी आयु 47 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देभई तह. सेंवढा जिला दतिया --- अनावेदक

प्रथम निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्व सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 25. 1. 2017 सीमांकन प्रकरण क्रमांक 05/अ-12/2016-2017 राजस्व निरीक्षक वृत सेंवढा जिला दतियाम.प्र. निगरानी जानकारी दिनांक 28. 6. 2017 को न्यायालय तहसीलदार सेंवढा के प्रकरण क्रमांक 3अ/70/2016-2017 उन्मान राजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम संजय आदि में धारा 250 म.प्र. भूराजस्व संहिता के तहत सूचनापत्र प्राप्त होने ,अन्दर अवधि प्रस्तुतहै ।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओरसे पुनरीक्षण आवेदनपत्र निम्न प्रकारहै -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1 यहकि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/2610

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. सेंवढ़ा जिला दतिया के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **अनुविभागीय अधिकारी सेंवढ़ा**	